

- (ii) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा: -

“121क	4904 00 00	म्यूजिक, प्रिंटेड या मैन्युस्क्रिप्ट में, चाहे बाउंड या इलेस्टेटड हो या नहीं”;
-------	---------------	--

- (iii) क्रम संख्या 152 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा: -

“153	कोई भी अध्याय	राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या मुख्यमंत्री या किसी लोक सेवक को मिले उपहार मर्दों का सरकार के द्वारा सार्वजनिक नीलामी करके आपूर्ति जहां ऐसी नीलामी का पैसा जनता या खैराती उपयोग के लिए किया जाना हो”।
------	------------------	--

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी।

[फा. सं. 354/432/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 667(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 20/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018 जिसे सा.का.नि. 697(अ) दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

No. 26/2018- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 1265(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667 (E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Schedule,—

- i) for S. No. 43A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -

“43A	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen
43B	0711	Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption”;

- ii) after S. No. 121 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“121A	4904 00 00	Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated”;
-------	---------------	--

iii) after S. No. 152 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“153	Any Chapter	Supply of gift items received by the President, Prime Minister, Governor or Chief Minister of any State or Union territory, or any public servant, by way of public auction by the Government, where auction proceeds are to be used for public or charitable cause”.
------	-------------	---

2. This notification shall come into force on the 1st January, 2019.

[F. No. 354/432/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No.2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by notification No. 20/2018 - Integrated Tax(Rate), dated the 26th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 697(E), dated the 26th July 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

सं. 27/2018-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1266(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7108 के अंतर्गत आने वाले स्वर्ण की अंतःराज्यीय आपूर्ति को, जब इनकी आपूर्ति हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, के अध्याय 4 के संगत प्रावधानों के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.41 में यथा संदर्भित “किसी नामित एजेंसी द्वारा आपूर्ति के एवज में निर्यात” की योजना के अंतर्गत किसी नामित एजेंसी द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति (यहां जिसे “प्राप्तकर्ता” से संदर्भित किया गया है), को की गई हो, उस पर एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 5 के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है, बशर्ते कि:-

- (i) ऐसी नामित एजेंसी और प्राप्तकर्ता हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स के साथ पठित विदेश व्यापार नीति में विनिर्दिष्ट शर्तों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे।
- (ii) प्राप्तकर्ता ऐसे स्वर्ण से तैयार किए गए आभूषणों का उस तारीख से 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर निर्यात कर देंगे जिस तारीख को उस प्राप्तकर्ता को स्वर्ण की आपूर्ति की गई थी और वह उस तारीख से 120 (एक सौ बीस) दिन की अवधि के भीतर उसी नामित एजेंसी को शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स, जिसमें माल एवं सेवाकर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) का ब्यौरा दिया गया हो और ‘इनवॉयस फॉर एक्सपोर्ट्स’ की प्रति उपलब्ध कराएगा जिस तारीख को उक्त नामित एजेंसी द्वारा यह आपूर्ति की गई थी।
- (iii) जहां कि शर्त (ii) में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात के ऐसे प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं वहां नामित एजेंसी, यदि यह छूट उपलब्ध न हो तो, निर्यात न किए गए सोने की मात्रा पर लागू होने वाले एकीकृत कर और साथ में ही ऐसे प्राप्तकर्ता को की गई आपूर्ति पर जिस दिन कर का भुगतान होना चाहिए था उस दिन से लेकर अब तक ब्याज की राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

“स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:

(क) “विदेश व्यापार नीति” से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 41/2015-2020, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, का.आ. 3813(अ), दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 के तहत अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है।